Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./2363/2006/ सीकर	
	सुरजाराम बनाम सरकार	
21-02-18	**एकल पीठ** **श्री धूकलराम कसवां सदस्य** उपस्थित श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्र सिंह उप राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह निगरानी सहायक कलेक्टर खण्डेला के आदेश दिनांक 1–4–06 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त करने मौका कमिश्नर खारिज किया है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि मौका निरीक्षण से किसी भी पक्षकार का हित निर्धारित नहीं हो रहा था बल्कि मौके पर कौन काबिज है, यह स्थिति स्पष्ट हो जाती। यदि मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता तो यह स्पष्ट हो जाता कि भूमि खसरा नम्बर नये 3624पर प्रार्थी मौके पर काबिज है। पुख्ता खामडोल बनाकर काश्त करता चला आ रहा है और मौके पर गेहूँ की फसल पक कर तैयार है। प्रार्थी का यह कथन रहा है कि भू प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी उसकी खातेदारी की भूमि रही है और बन्दोबस्त के दौरान राजकीय दर्ज की गई है। इस कारण प्रार्थी को वाद प्रस्तुत करना पडा। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर मौका कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश प्रदान किया जावे। जबाब में उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर उसके विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और नायब तहसीलदार खण्डेला द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है। मौका कमिश्नर नियुक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2363/2006/ सीकर</u>** **सुरजाराम बनाम सरकार**	

करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया गया है। निगरानी खारिज की जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया।

प्रार्थी ने अपने मौका कमिश्नर नियुक्ति प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी मौके पर अपनी आराजी पर पुख्ता खामडोल बनाकर काश्त करता आ रहा है। आराजी के चारों ओर पुख्ता खामडोल कदीमी बना हुआ है। विवादित आराजी की वर्तमान की भौतिक स्थिति को रेकार्ड पर लिया जाता है तो न्यायालय को वाद के निस्तारण में सुविधा होगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड मेंराजकीय भूमि दर्ज है और प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण निर्णित होकर बेदखली के आदेश पारित किये जा चुके हैं। मौके की स्थिति किस प्रकार बदले जाने की सम्भावना है यह स्पष्ट नहीं किया गया है। राजकीय भूमि से बेदखल करने का अधिकार नायब तहसीलदार खण्डेला को प्राप्त है। यदि नायब तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत पारित निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी को कोई आपति थी तो उसके विरूद्ध विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी। अभिभाषक प्रार्थी के तर्क अनुसार यदि भू प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदारी में थी और भू प्रबन्ध के दौरान सिवाय चक दर्ज की गई है तो मूल वाद में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित होगा। लेकिन मौका कमिश्नर नियुक्त करने से प्रार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने मौका कमिश्नर नियुक्त करने का प्रार्थना पत्र सही रूप से खारिज किया है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)

सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2363/2006/ सीकर</u>** **सुरजाराम बनाम सरकार**	
	annot be ground to reject plaint.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2363/2006/ सीकर</u>** **सुरजाराम बनाम सरकार**	